

7. जालगी में अंकित उक्त योजनाओं की कार्यवाही प्रशासनिक अनुपालन के प्रसार पर स्थल प्राधिकार विभागीय उपस्थान (जागीर धान) सही मातृका, जागीर कार्य विभाग, जिला, जिला द्वारा दिनांक- 6/11/2021 को अंकित संख्या मुद्रा-4 (गु)-राजगी-20-06/2021 में अनुमोदन प्राप्त है।
8. योजनाओं की कार्यावाही के पूर्व जिलाधिकारी पर कार्यवाही अधिकार प्राप्त प्राप्त प्राधिकार से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजनाओं की कार्यावाही स्वीकृति प्राप्त किए जाने के क्रम में प्राथमिक आवेदन भव, पर एवं बांध की संभावना की जांच स्थल प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकाधिकाधिक के पूर्व कार्यवाही अधिकार पर सुनिश्चित कर जंग की वृद्धि में जमीन काट की योजना किसी अन्य कार्यक्रम / कार्य से अक्षरित नहीं हो।
11. संबंधित योजना U/SRI करणी के अनुसार निर्मित नहीं हो। यदि निर्मित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाये।
12. विद्यालय क्षेत्रांतर्गत स्थिति स्थिति प्राधान्य के अंतर्गत में बसा प्रकल्प को अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित प्रकल्प/प्रक्रिया के अंतर्गत में प्राप्ति की गिलगी की जायेगी।
13. जिला विभाग के संकल्प सं- 3258 दिनांक 31.05.2017 में निर्मित निर्देश एवं सचिव-सचिव पर निर्मित निर्देशों का अक्षर प्रालम्ब किया जायेगा तथा जिला जिला विभागों के सुसंगत प्रकल्पों के अंतर्गत में योजना में उपस्थित जमीन की उपलब्धता के आधार पर जंग की जायेगी।
14. यह सही जमीन भव में बसा की जायेगी, जिसके लिए पूर्वाधिकारिता की वृद्धि है, अन्य भव में नहीं।
15. प्रकल्पों की विविधताओं के अनुसार निर्धारित लक्षणाधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने सुनिश्चित किया जायेगा।
16. संबंधित कार्यवाही अधिकार द्वारा योजना के विविध एवं भौतिक प्रतिवेदन प्राप्ति सब की 8 तारीख तक जंग लक्षण प्रक्रिया करणी हुए अक्षर अधिकार एवं मुख्य अधिकार के अक्षर में विभाग को निर्मित रूप में उपलब्ध कराएंगे।
17. योजनाओं की कार्यावाही के क्रम में इनका निर्धारित निर्देश, सतत से निर्मित आवेदों में प्राथमिक स्थल जिला प्राधिकारियों द्वारा निर्मित अक्षर पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं जमीन की स-समय तथा गुणवत्ता वृद्धि अक्षर प्राप्त सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यावाही में अनिवार्यता की स्थिति में सभी प्राधिकारों जंगवाही करने जाएंगे।
18. स्वीकृतिप्राप्त प्राप्त अधिकार किसी सततता की सततता से निर्मित किया जा रहा है। आर्थिक विधीय सततता की सततता सततता- मुद्रा-4 (गु)-राजगी-20-06/2021 के मु- 31/ 6 पर दिनांक- 1/11/21 को प्राप्त है।

विभागाध्यक्ष

 जिला जिला
 जिला जिला

आपक- मुआ-4 (सु)- जपौ-20-08/2023-6201/पटना दिनांक-07/12/2023
प्रतिनिधि-संघित कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6/12/23
विशेष सचिव

आपक- मुआ-4 (सु)- जपौ-20-08/2023-6201 /पटना दिनांक-07/12/2023
प्रतिनिधि- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आगत सचिव, अपर
मुख्य सचिव/अध्यापक सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय
खाता)/आंतरिक वित्तीय सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/संघित प्रमोशनल आयुक्त/संघित
जिला पदाधिकारी/संघित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, मिहान
पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1, 2, 3 एवं 4, पटना
ग्रामीण कार्य विभाग/संघित समीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संघित कार्यपालक
अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमोशन को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आईटीओ
नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आईटीओ मैनेजर को विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6/12/23
विशेष सचिव